FORM NO. C.A.-2

[Refer Rule 4 of the Customs (Appeal) Rules, 1982]

Form of Application to the Commissioner (Appeals) under Section 129D(4) of the Customs Act, 1962

	(, · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Appe	al No19
	Applicant
	$V_{\mathcal{S}}$.
	Respondent
(1)	Designation and address of the applicant (If the applicant is not the adjudicating authority, a copy of the authorisation from the Commissioner of Customs to make the application should be enclosed).
(2)	Name and address of the respondent.
(3)	Designation and address of the officer passing the decision or order in respect of which this application is being made and the date of the decision or order.
(4)	Date on which the order under sub-section (2) of Section 129D has been passed by the Commissioner of Customs.
(5)	Date of communication of the order referred to in (4) above to the adjudicating authority.
(6)	Relief claimed in the application.
	Statement of facts Grounds of application
	(i) (ii)
	(iii) etc.
	Signature of the

Note: The form of application, including the statement of facts and the grounds of application shall be filed in duplicate and shall be accompanied by two copies of the decision or order passed by the adjudicating authority (one of which at least shall be a certified copy) and a copy of the order of the Commissioner of Customs under sub-section (2) of section 129D of the Act.

applicant

प्रपत्र सं. सीए-2

[सीमा शुल्क (अपील) नियम, 1982 का नियम 4 देखें]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129डी(4) के तहत आयुक्त (अपील) को आवेदन पत्र

अपील स	ग्रंख्या19
	बनाम
	पतिवादी
(1)	आवेदक का पदनाम और पता (यदि आवेदक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी नहीं है, तो 'आवेदन करने के
	लिए सीमा शुल्क आयुक्त से प्राप्त प्राधिकरण की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।
(2)	प्रतिवादी का नाम और पता।
(3)	उस निर्णय या आदेश को पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और पता जिसके संबंध में यह
	आवेदन किया जा रहा है और निर्णय या आदेश की तिथि।
(4)	दिनांक, जिस पर सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा धारा 129डी की उप-धारा (2) के तहत आदेश पारित किया
	गया है।
(5)	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उपर्युक्त (4) में संदर्भित आदेश की संसूचना की तिथि।
(6)	आवेदन में राहत का दावा
	तथ्यों का विवरण
	आवेदन के आधार
	(i)
	(ii)
	(iii) आदि।
	आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी: तथ्यों के बयान और आवेदन के आधार सिहत आवेदन का प्रपत्र दो प्रतियों में दायर किया जाएगा और निर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश की दो प्रतियों के साथ किया जाएगा। (जिनमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होगी) और अधिनियम की धारा 129डी की उप-धारा (2) के तहत सीमा शुल्क आयुक्त के आदेश की एक प्रति।